तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10.12.19	पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी की ओर से श्री भैराराम, नायब तहसीलदार पैरोकार सरकार उपस्थित। अप्रार्थी के अधिवक्ता श्री बाबूलाल जाणी उपस्थित। उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया गया। तहसीलदार चौहटन द्वारा यह प्रार्थना पत्र राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970 के नियम 14(4) के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिनांक 28.05.1973 को सहायक कलक्टर बाड़मेर द्वारा अप्रार्थी राऊ को ग्राम भाडा गुलमोहम्मद के खसरा नम्बर 126 रकबा 51–15 बीघा तथा खसरा नम्बर 128/1 रकबा 13–05 बीघा कुल रकबा 75–00 बीघा भूमि आवंटन की गई। वक्त आवंटन अप्रार्थी भारत गणराज्य का नागरिक नहीं होने से उसके द्वारा तथ्य छिपाते हुए आवंटन कराया गया हैं जो निरस्त फरमाया जावें। प्रार्थी तहसीलदार चौहटन के प्रार्थना पत्र पर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया जाकर बाद सुनवाई निर्णय दिनांक 28.05.1997 के द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी के पक्ष में किया गया आवंटन निरस्त करते हुए उक्त भूमि का कब्जा बहस सरकार लेकर राजस्व अभिलेख में अमलदरामद करने का आदेश पारित किया गया। इस न्यायालय के इस आदेश के विरूद्ध अप्रार्थी द्वारा प्रथम अपील सं. 65/1997 भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी (बाड़मेर–जैसलमेर) मुख्यालय जोधपुर के समक्ष प्रस्तुत की गई। राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा अप्रार्थी की ओर से प्रस्तुत उक्त अपील निर्णय दिनांक 24.12.1998 द्वारा खारिज करते हुए इस न्यायालय के निर्णय को बहाल रखा गया। इस पर अप्रार्थी द्वारा पुनः द्वितीय अपील सं. 55/1999 माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के समक्ष प्रस्तुत की गई, जो निर्णय दिनांक 19.05.2001 के द्वारा खारिज की जाकर अधिनस्थ दोनो ही न्यायालयों के निर्णय बहाल रखे गये। इससे व्यथित होकर अप्रार्थी द्वारा एकल पीठ व्यवहार लेख याचिका सं. 9733/2014 माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई, जिस पर सुनवाई उपरांत निम्नानुसार आदेश पारित किया गया– Learned counsel for the petitioner submits that allotment of land in favour of the petitioner was cancelled only because he was not an Indian citizen. Now, the petitioner is allaged to have been conferred the Indian citizen. He prays that this case be considered by the Revenue Appellate Authority for allotment of land. Learned counsel for the State submits that in case the petitioner is found as Indian citizen then he should approach before the Revenue authority and apply for allotment of land. In view of above, if an application is made, the Revenue Authorities may proceed in accordance with law and consider the case of the petitioner as law permits. अपर कलक्टर बाड़मेर (ए.डी.एम.)	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	माननीय उच्च न्यायालय के इस आदेश की अनुपालना में अप्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 14.04.2018 प्रस्तुत कर प्रार्थी के आवेदन पत्र को पुनः सुनवाई पर लिया जाकर कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन स्वीकृत करवाने का आदेश पारित करने का निवेदन किया। यद्यपि माननीय न्यायालय द्वारा अप्रार्थी को नियमानुसार भूमि आवंटन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करने एवं राजस्व प्राधिकारीगण को उस पर विधिसम्मत रूप से कार्यवाही करते हुए यदि विधि में अनुमत पाया जावे तो प्रार्थना पत्र को कंसीडर किये जाने के निर्देश दिये हैं, ऐसे में अप्रार्थी को सक्षम भूमि आवंटन प्राधिकारी के समक्ष आवंटन नियमों के तहत निर्धारित प्ररूप में आवेदन प्रस्तुत किया जाना चाहिए था। इसके उपरांत भी अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसरण में तहसीलदार चौहटन से अप्रार्थी के नागरिकता सम्बन्धित तथ्य एवं विवादित भूमि की मौका एवं रेकर्ड की वस्तुस्थिति की रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार चौहटन ने रेकर्ड एवं मौका स्थिति की रिपोर्ट दिनांक 23.07.18 के संलग्न अप्रार्थी का भारतीय नागरिकता प्रमाण पत्र की प्रति भिजवाते हुए अवगत कराया हैं कि अप्रार्थी को दिनांक 18.01.2005 को भारतीय नागरिकता प्राप्त हैं तथा वर्तमान में उक्त भूमि राजस्व रेकर्ड में बिला कब्जा मुमकीन इन्द्राज़ हैं। अप्रार्थी की खसरा नम्बर 126 मे रहवासी ढाणी, टांका मय घरेलु विद्युत कनेक्शन लिया हुआ पाया गया, जिसके लिये अप्रार्थी के विरूद्ध धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज किया जाता हैं। अतः अप्रार्थी की नागरिकता के संबंध मे तहसीलदार चौहटन से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर पुष्टि हो गई हैं, ऐसे में माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसरण में उपखण्ड अधिकारी चौहटन एवं अध्यक्ष भूमि आवंटन सलाहाकर समिति चौहटन को निर्देशित किया जाता हैं कि अप्रार्थी द्वारा राजस्थान भू–राजस्व (कृषि भूमि का आवंटन) नियम, 1970 के तहत नियमानुसार यदि आवेदन किया जाता हैं तो उसकी पात्रता की जांच कराते हुए प्रचलित नियमों के परिप्रेक्ष्य में उसका विधिसम्मत रूप से निस्तारण किया जावें। आदेश आज दिनांक 10.12.2019 को सुनाया गया। (राकेश कुमार शर्मा) अपर जिला कलक्टर, बाड़मेर अपर कलक्टर बाड़मेर (ए.डी.एम.)	